

संख्या-1684/नौ-9-2023/ई-1677525 महत्वपूर्ण/शीघ्र

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
गृह विभाग/परिवहन विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/
महिला एवं बाल विकास विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ बेसिक शिक्षा/
माध्यमिक शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं
औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2023

विषय- सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरों को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत संचालित आई.सी.सी.सी. व आई.टी.एम.एस. के साथ इन्टीग्रेट करके एक स्थान से मॉनिटरिंग की व्यवस्था को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना शासन की प्राथमिकता है। केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 10 शहरों (आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर व वाराणसी) में आई.सी.सी.सी. व आई.टी.एम.एस. परियोजनाएँ पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं एवं राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अन्य 06 नगर निगमों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ व शाहजहाँपुर) में आई.टी.एम.एस. परियोजना के तहत कमाण्ड सेन्टर क्रियाशील है।

2. उल्लेखनीय है कि नगर विकास विभाग स्तर पर समस्त नगर आयुक्तों के साथ सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कार्य की प्रगति तथा सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं। केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी योजना अन्तर्गत मण्डलायुक्त एस०पी०वी० के अध्यक्ष हैं एवं राज्य स्मार्ट सिटी योजना में भी कार्यों की स्वीकृति मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से प्रदान की जाती है। परियोजना अन्तर्गत विभिन्न विभागों का सहयोग एवं समन्वय आवश्यक है। इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:

1. पुलिस विभाग द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरों को कनेक्ट करने हेतु सूची उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु कई स्थानों पर इनके इन्टीग्रेशन हेतु सहमति प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतएव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त द्वारा सम्बंधित थानों के माध्यम से इन्टीग्रेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय तथा इस हेतु न्यूनतम अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल नामित किया जायेगा, जिनके द्वारा प्रतिदिन संबंधित कार्यों की समीक्षा की जायेगी।

2. शहर के समस्त आबकारी की दुकानों के सी.सी.टी.वी. कैमरों को भी इस व्यवस्था से इन्टीग्रेट कराया जाये। इस हेतु जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से समस्त दुकानों के सी०सी०टी०वी० कैमरों के इन्टीग्रेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। कैमरों के Installation प्रवेश, निकास तथा सार्वजनिक स्थानों पर करते हुए कैमरों को कनेक्ट किया जाये।

3. उक्त व्यवस्था से महिलाओं व छात्राओं के मन में सुरक्षा की भावना विकसित हो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालयों, निजी व सार्वजनिक कालेज, स्कूल, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन सेन्टर इत्यादि की सूची बेसिक

I/376153/2023

शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से तैयार करा ली जाय एवं इन संस्थानों के सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी./ आई.टी.एम.एस. से कनेक्ट किया जायेगा तथा जिन संस्थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरें स्थापित नहीं है, उन संस्थानों को स्वयं के व्यय पर इन्हे स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय तथा इन कैमरों को भी कनेक्ट किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाये। कैमरों के Installation प्रवेश, निकास तथा सार्वजनिक स्थानों पर करते हुए कैमरों को कनेक्ट किया जाये।

4. शहर के ऐसे स्थल जहां पर अत्यधिक भीड़-भाड़ होती है, जैसे- बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड, मॉल, शापिंग सेन्टर, सिनेमा हाल, किसी भी प्रकार का प्रदर्शनी स्थल, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थलों पर स्थापित कैमरों को सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत आई.सी.सी.सी./ आई.टी.एम.एस. से कनेक्ट कराया जाये।

5. सभी प्रकार के व्यवसायिक/वाणिज्यिक संगठनों जैसे-इण्डस्ट्री एसोसियेशन, मेडिकल, हास्पिटल, पेट्रोल व गैस एजेंसी तथा रेजीडेन्ट एसोसियेशन व अन्य संगठनों से बैठक करके सभी प्रतिष्ठानों के प्रवेश व निकास द्वार पर स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों को कनेक्ट किया जायेगा।

6. शहर के सभी स्टेक होल्डर्स को बैठकों के माध्यम से यह अवगत कराया जाये कि सी.सी.टी.वी. कैमरों को कनेक्ट किये जाने से जहां एक तरफ उनकी सुरक्षा होगी, वही दूसरी ओर किसी भी प्रकार के अपराध घटित होने की स्थिति में साक्ष्य संकलन सुविधाजनक होगा। समस्त स्टेकहोल्डर्स के मन में इस प्रकार की भावना विकसित किया जाना आवश्यक है, ताकि उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके।

7. सोशल मीडिया, वीडियो फिल्म आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार के अतिरिक्त स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक, नुक्कड़ नाटक आदि द्वारा भी इस प्रक्रिया के सम्बंध में जन-जागरूकता की जायेगी।

8. सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत सी.सी.टी.वी. कैमरों को आईसीसीसी/आईटीएमएस से इन्टीग्रेशन की इस पूरी प्रक्रिया में मा10 जन-प्रतिनिधिगण का आवश्यक मार्ग-दर्शन व अपेक्षित सहयोग महत्वपूर्ण है। इस हेतु मा10 जन प्रतिनिधिगण को स्थानीय आईसीसीसी केन्द्र में बुलाकर उनके समक्ष प्रस्तुतीकरण जायेगा व इस प्रक्रिया से लोगों को होने वाले लाभों से अवगत कराया जायेगा।

9. सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी./आई.टी.एम.एस. से कनेक्ट करने के दौरान कस्टमर की पुष्टि करते हुए इसके लाभ के सम्बंध में वीडियो टेस्टोमोनियल भी प्राप्त किये जाय तथा इन्हे सम्बंधित नगर निगम तथा आई.सी.सी.सी. सेन्टर में सुरक्षित रखा जाये।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सेफ सिटी परियोजनान्तर्गत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी./आई.टी.एम.एस. से इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु परियोजना की मॉनीटरिंग करते हुए उपरोक्तानुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः उक्त कार्य उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से 20 सितम्बर तक पूर्ण रूप से Integrated एवं संचालित किया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर

मिश्र

Date: 25-08-2023 19:47:40

Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ०प्र० लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, ट्रैफिक एवं रोड सेफ्टी/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ०प्र० लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ०प्र०।
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।